



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17082021-229088  
CG-DL-E-17082021-229088

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3111]  
No. 3111]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 17, 2021/श्रावण 26, 1943  
NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 17, 2021/SHRAVANA 26, 1943

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अगस्त, 2021

**का.आ. 3361(अ).**—केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गयी भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 2623(अ), तारीख 18 जून 2021, जो भारत के राजपत्र संख्या 2432 भाग II, खण्ड-3, उप-खण्ड (ii) तारीख 30 जून 2021, में प्रकाशित की गयी थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उत्तर प्रदेश राज्य में टूण्डला टर्मिनल से कानपुर टर्मिनल तक पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिये इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रायोजन के लिये उपयोग के अधिकार के अर्जन करने के लिए अपने आशय की घोषणा की थी।

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गयी थी और उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी ने केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है।

और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिये अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है।

अतः अब केंद्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये एतद् द्वारा घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइप लाइन बिछाने के लिये उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाये।

और केंद्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केंद्रीय सरकार में निहित होने के बजाय, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में निहित होगी।

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिये इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड पूर्णतया उत्तरदायी होगी और पाइपलाइन से सम्बंधित किसी भी मामले पर केंद्रीय सरकार के विरुद्ध कोई वाद दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

### अनुसूची

तहसील – शिकोहाबाद

जिला – फिरोजाबाद

राज्य – उत्तर प्रदेश

| क्रम सं. | गांव का नाम    | खसरा सं. | क्षेत्रफल |     |           |
|----------|----------------|----------|-----------|-----|-----------|
|          |                |          | हेक्टेयर  | एयर | वर्ग मीटर |
| 1        | 2              | 3        | 4         | 5   | 6         |
| 1.       | बनवीरपुर कुढ़ी | 424      | 00        | 07  | 20        |
| 2.       | दखिनारा        | 18       | 00        | 13  | 08        |
|          |                | 15       | 00        | 18  | 18        |
|          |                | 1427     | 00        | 11  | 38        |

[फा. सं. आर-11025(11)/20/2018-ओआर-1/ई-27595]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

## MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

### NOTIFICATION

New Delhi, the 17th August, 2021

**S.O. 3361(E).**—Whereas, by the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas, published in the Gazette of India No. 2432 Part II, Section 3, Sub-section(ii) dated the 30<sup>th</sup> June, 2021, vide S.O No. 2623(E), dated the 18<sup>th</sup> June, 2021, issued under sub section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land ) Act, 1962 (50 of 1962) (hereinafter referred to as the said Act) , the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline from Tundla Terminal to Kanpur Terminal in the State of Uttar Pradesh by Indian Oil Corporation Limited for the transportation of petroleum products;

And whereas copies of said Gazette notification were made available to the public; and whereas the competent Authority has under sub-section (1) of section 6 of the said act, has submitted report to the Central Government;

And whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the

Central Government, vest on the date of publication of the declaration, in Indian Oil Corporation limited, free from all encumbrances.

Indian Oil Corporation limited shall be exclusively liable for any compensation in terms of section 10 of the P&MP Act, 1962 and no suit, claim or legal proceedings would lie against the Central Government on any matter relating to the pipeline.

#### SCHEDULE

Tehsil:- Shikohabad

District:- Firozabad

State : Uttar Pradesh

| Sl. No. | Name of the Village | Khasara No. | Area    |     |         |
|---------|---------------------|-------------|---------|-----|---------|
|         |                     |             | Hectare | Are | Sq.mtr. |
| 1       | 2                   | 3           | 4       | 5   | 6       |
| 1.      | Banvirpur Kundhi    | 424         | 00      | 07  | 20      |
| 2.      | Dakhinara           | 18          | 00      | 13  | 08      |
|         |                     | 15          | 00      | 18  | 18      |
|         |                     | 1427        | 00      | 11  | 38      |

[F. No. R-11025(11)/20/2018-OR-I/E-27595]

P. SOMAKUMAR, Under Secy.

#### अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अगस्त, 2021

**का.आ. 3362(अ).**—केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गयी भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 2624(अ), तारीख 18 जून 2021, जो भारत के राजपत्र संख्या 2433 भाग II, खण्ड-3, उप-खण्ड (ii) तारीख 30 जून 2021, में प्रकाशित की गयी थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उत्तर प्रदेश राज्य में टूण्डला टर्मिनल से कानपुर टर्मिनल तक पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिये इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रायोजन के लिये उपयोग के अधिकार के अर्जन करने के लिए अपने आशय की घोषणा की थी।

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गयी थी। और उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी ने केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है।

और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिये अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है।

अतः अब केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये एतद् द्वारा घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइप लाइन बिछाने के लिये उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाये।

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय, सभी विल्लंगमो से मुक्त होकर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में निहित होगी।

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिये इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड पूर्णतया उत्तरदायी होगी और पाइपलाइन से सम्बंधित किसी भी मामले पर केंद्रीय सरकार के विरुद्ध कोई वाद दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

### अनुसूची

तहसील – सिरसागंज

जिला – फिरोजाबाद

राज्य – उत्तर प्रदेश

| क्रम सं. | गांव का नाम    | खसरा सं. | क्षेत्रफल |     |           |
|----------|----------------|----------|-----------|-----|-----------|
|          |                |          | हेक्टेयर  | एयर | वर्ग मीटर |
| 1        | 2              | 3        | 4         | 5   | 6         |
| 1.       | कवीरपुर        | 536      | 00        | 13  | 06        |
| 2.       | शेरपुर अफजलपुर | 379      | 00        | 08  | 08        |
| 3.       | बहादुरपुर      | 212      | 00        | 15  | 90        |

[फा. सं. आर-11025(11)/20/2018-ओआर-I/ई-27595]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

### NOTIFICATION

New Delhi, the 17th August, 2021

**S.O. 3362(E).**—Whereas, by the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas, published in the Gazette of India No. 2433 part II, Section 3, Sub-section(ii) dated the 30<sup>th</sup> June, 2021, vide S.O No. 2624(E), dated the 18<sup>th</sup> June, 2021, issued under sub section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land ) Act, 1962 (50 of 1962) (hereinafter referred to as the said Act) , the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline from Tundla Terminal to Kanpur Terminal in the state of Uttar Pradesh by Indian Oil Corporation Limited for the transportation of petroleum products;

And whereas copies of said Gazette notification were made available to the public; and whereas the competent Authority has under sub-section (1) of section 6 of the said act, has submitted report to the Central Government;

And whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vest on the date of publication of the declaration, in Indian Oil Corporation limited, free from all encumbrances.

Indian Oil Corporation limited shall be exclusively liable for any compensation in terms of section 10 of the P&MP Act, 1962 and no suit, claim or legal proceedings would lie against the Central Government on any matter relating to the pipeline.

## SCHEDULE

Tehsil: Sirsaganj

District: Firozabad

State : Uttar Pradesh

| Sl. No. | Name of the Village | Khasara No. | Area    |     |         |
|---------|---------------------|-------------|---------|-----|---------|
|         |                     |             | Hectare | Are | Sq.mtr. |
| 1       | 2                   | 3           | 4       | 5   | 6       |
| 1.      | Kabirpur            | 536         | 00      | 13  | 06      |
| 2.      | Sherpur Afzalpur    | 379         | 00      | 08  | 08      |
| 3.      | Bahadurpur          | 212         | 00      | 15  | 90      |

[F. No. R-11025(11)/20/2018-OR-I/E-27595]

P. SOMAKUMAR, Under Secy.

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अगस्त, 2021

**का.आ. 3363(अ).—** केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गयी भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 2622(अ), तारीख 18 जून 2021, जो भारत के राजपत्र संख्या 2431 भाग II, खण्ड-3, उप-खण्ड (ii) तारीख 30 जून 2021, में प्रकाशित की गयी थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उत्तर प्रदेश राज्य में टूण्डला टर्मिनल से कानपुर टर्मिनल तक पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिये इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रायोजन के लिये उपयोग के अधिकार के अर्जन करने के लिए अपने आशय की घोषणा की थी।

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गयी थी। और उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा(1) के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी ने केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है।

और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिये अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है।

अतः अब केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये एतद् द्वारा घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइप लाइन बिछाने के लिये उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाये।

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय, सभी विल्लंगमो से मुक्त होकर इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड में निहित होगी।

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिये इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड पूर्णतया उत्तरदायी होगी और पाइपलाइन से सम्बंधित किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध कोई वाद दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

तहसील – टूण्डला

जिला – फिरोजाबाद

राज्य – उत्तर प्रदेश

| क्रम सं. | गांव का नाम | खसरा सं. | क्षेत्रफल |     |           |
|----------|-------------|----------|-----------|-----|-----------|
|          |             |          | हेक्टेयर  | एयर | वर्ग मीटर |
| 1        | 2           | 3        | 4         | 5   | 6         |
| 1.       | जौधरी       | 288      | 00        | 35  | 00        |

[फा. सं. आर-11025(11)/20/2018-ओआर-I/ई-27595]

पी. सोमाकुमार, अवसर सचिव

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 17th August, 2021

**S.O. 3363(E).**—Whereas, by the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas, published in the Gazette of India No. 2431 Part II, Section 3, Sub-section(ii) dated the 30<sup>th</sup> June, 2021, vide S.O No. 2622(E), dated the 18<sup>th</sup> June, 2021, issued under sub section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land ) Act, 1962 (50 of 1962) (hereinafter referred to as the said Act) , the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline from Tundla Terminal to Kanpur Terminal in the state of Uttar Pradesh by Indian Oil Corporation Limited for the transportation of petroleum products;

And whereas copies of said Gazette notification were made available to the public; and whereas the competent Authority has under sub-section (1) of section 6 of the said act, has submitted report to the Central Government;

And whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vest on the date of publication of the declaration, in Indian Oil Corporation limited, free from all encumbrances.

Indian Oil Corporation limited shall be exclusively liable for any compensation in terms of section 10 of the P&MP Act, 1962 and no suit, claim or legal proceedings would lie against the Central Government on any matter relating to the pipeline.

**SCHEDULE**

Tehsil: Tundla

District: Firozabad

State: Uttar Pradesh

| Sl. No. | Name of the Village | Khasara No. | Area    |     |         |
|---------|---------------------|-------------|---------|-----|---------|
|         |                     |             | Hectare | Are | Sq.mtr. |
| 1       | 2                   | 3           | 4       | 5   | 6       |
| 1.      | Jondhri             | 288         | 00      | 35  | 00      |

[F. No. R-11025(11)/20/2018-OR-I/E-27595]

P. SOMAKUMAR, Under Secy.